160

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर

कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक : ....

पुनर्विलोकन-0313/2019/सीहोर/भू.रा.

01. संतोष, वयस्क
02. अशोक, वयस्क

दोनों पुत्रगण श्री करन सिंह
निवासी व कृषक– ग्राम मालीखेड़ी,
तहसील आष्टा, ज़िला सीहोर .... आवेदकगण

विरूद्ध

01. मध्यप्रदेश शासन
02. कमल सिंह आत्मज भूपेन्द्र सिंह, वयस्क
03. कैलाश नारायण आत्मज रामनारायण, वयस्क

सभी निवासी – ग्राम मालीखेड़ी,
तहसील आष्टा, ज़िला सीहोर .... अनावेदकगण

पुनर्विलोकन अंतर्गत धारा 51 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 13/02/2019 जो प्रकरण क्रमांक 2/निगरानी/सीहोर/भू0रा0/2017/ 4877 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया

महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत है :–

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मालीखेड़ी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 39 रकबा 8.114 हेक्टेयर के भाग 5.500 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में तहसीलदार आष्टा के प्रकरण क्र. 1/अ–68/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09/12/2016 के द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये गये हैं।

02. यह कि, आदेश दिनांक 09/12/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक Rev-313/19/सीहो/Rev.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-3-2019	आवेदक पक्ष की ओर से श्री प्रेमसिंह अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । मूल निगरानी प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सीहोर/भू.रा./2017/4877 में पारित आदेश दिनांक 13-2-19 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:- 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा प्रेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात या साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जिससे इस न्यायालय द्वारा मूल निगरानी प्रकरण में पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके । आवेदकगण द्वारा अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष 29/3/19	